1

III/निगरानी/उमरिया/भू-रा/2017/2314

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1— रमाकांत तिवारी आत्मज स्व0 श्री कमला प्रसाद तिवारी, उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि ।

2— उमाकांत तिवारी आत्मज स्व0 श्री कमला प्रसाद तिवारी, उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषि

3— लक्ष्मीकांत तिवारी आत्मज स्व0 श्री कमला प्रसाद तिवारी, उम्र 40 वर्ष, पेशा कृषि

सभी निवासी ग्राम चिल्हारी , तह0 मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0

————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— शासन म0प्र0

2— राजाराम पिता श्री जगदप्रसाद तिवारी, उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम चिल्हारी , तह0 मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक चिल्हारी तह0 मानपुर, जिला उमरिया के दिनांक 08.06.2017 के प्रकरण कमाक 47अ—12/16—17 ।

अंतर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

द्वारा आज दि. 24-7-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तगी है।

2— यह कि निगरानीकर्तागण एवं अनावेदक /गैरनिगराकारगण ग्राम चिल्हारी तह0 मानपुर जिला उमरिया के निवासी है निगरानीकर्तागण ग्राम चिल्हारी की आराजी खसरा नं0 1818 रकवा 0.109हे के भूमिस्वामी व कब्जेदार है जिसमें निगरानीकर्तागण का आवास एवं निस्तार की भूमि है व रहायशी मकान है जिसमें निगरानीकर्तागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/उमरिया/भू-रा./2017/2314

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
3.8.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण तिवारी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा शासन की ओर से उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक चिल्हारी तहसील मानुपर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 47/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 8.6.17 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ग्राम चिल्हरी तहसील मानपुर जिला उमरिया के निवासी है । ग्राम चिल्हारी की आराजी खसरा न0 1818 रकवा 0.109 है0 के भूमिस्वामी व कब्जेदार है जिसमें निगरानीकर्तागण के आवास एवं निस्तार की भूमि है व रिहायशी मकान है जिसमें आवेदक का परिवार रह रहा हैं । उपरोक्त भूमि के बगल में अनावेदक क्रमांक 2 राजाराम की भूमि आराजी न0 1519 रकवा 0.064 है0 स्थित ग्राम चिल्हारी तहसील मानपुर जिला उमरिया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि अनावेदक क्रमांक -2 ने अपनी भूमि का सीमांकन कराया जिसमें आवेदक की भूमि आराजी न0 1518 का रकवा 0.109 है0 में से 12 फुट अनावेदक क्रमांक 02 की भूमि	

में नाप दी गई है जो काबिल निरस्तगी है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बगैर सीमांकन किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 8.6.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया हैं ।

3– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पंचनामा एवं सूचना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है और न ही विशिष्ट व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये है । अतः राजस्व निरीक्षक चिल्हारी तहसील मानुपर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 47 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 8.6.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

सदस्य